अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946

(1946 का अधिनियम सं० 22)

[आफ़िशियल लैंगवेजेज़ एक्ट, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित प्रमाणिक हिन्दी पाठ]

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946

(1946 का अधिनियम सं० 22)

[23 अप्रैल, 1946]

अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ एक निधि गठित करने के लिए

अधिनियम

यत : अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषणार्थ एक निधि गठित करना समीचीन है ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) यह अधिनियम अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

उपकर का अधिरोपण और संग्रहण ।

2. (1) उस तारीख़ से, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में एक सीमाशुल्क उन राज्य-क्षेत्रों से, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, निर्यात सब अभ्रक पर, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, मूल्यानुसार सवा छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाए, उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा;

परन्तु अप्रैल 1947 के प्रथम दिन तक, ऐसे नियत की गई शुल्क की दर मूल्यानुसार ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) हर एक मास के दौरान वसूल किए गए सीमाशुल्क के आगम, उनमें से संग्रहण और वसूली के व्ययों को, यदि कोई हों, काट कर, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि कही जाने वाली एक निधि के (जिसे एतस्मिन्पश्चात् निधि कहा गया है) खाते में, उस मास की अन्तिम तारीख़ को या तत्पश्चात् यथाशीघ्र सुविधानुसार संदत्त किए जाएंगे।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि ।

3. (1) निधि का उपयोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे उपायों के संबंध में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार की राय में अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने में किया जा सकेगा,—

(क) अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित श्रमिकों के फायदे के लिए उन उपायों का खर्च जो निम्नलिखित के लिए उद्दिष्ट हों,—

(i) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का सुधार, रोग का निवारण और चिकित्सीय सुविधाओं का उपबन्ध और सुधार;

(ii) जल प्रदाय तथा नहाने-धोने की सुविधाओं का उपबन्ध और सुधार;

(iii) शैक्षिक सुविधाओं का उपबन्ध और सुधार;

(iv) जीवन-स्तरों का, जिन के अन्तर्गत आवासन और पोषण आते हैं, सुधार, सामाजिक दशाओं की बेहतरी और आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का उपबन्ध;

(v) काम पर जाने या वहां से आने के लिए परिवहन का उपबन्ध;

(ख) किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिए निधि का उपयोग किया जा सकता हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम की सहायता के लिए किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या अभ्रक खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक को धन का अनुदान;

21047/
539 Law/73—375—11-3-74—GIPF.

(ग) निधि के प्रशासन का खर्च, जिसके अन्तर्गत धारा 4 के अधीन गठित सलाहकार समितियों के सदस्यों के भत्ते, यदि कोई हों, और धारा 5 के अधीन नियुक्त किए गए आफ़िसरों के सम्बलम् और भत्ते, यदि कोई हों, आते हैं ;

(घ) कोई अन्य व्यय जिसका कि केन्द्रीय सरकार निधि से चुकाया जाना निदिष्ट करे।

(3) केन्द्रीय सरकार को यह विनिश्चित करने की शक्ति होगी कि कोई विशिष्ट व्यय निधि में से विकलित किए जाने योग्य है या नहीं और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों की रिपोर्ट, निधि की प्राप्तियों और व्यय के प्राक्कलन तथा एक लेखा विवरण सहित, प्रति वर्ष शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

सलाहकार समितियां।

4. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के या निधि के प्रशासन से उद्भूत होने वाले किन्हीं मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए उतनी सलाहकार समितियां गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे, किन्तु हर एक राज्य के लिए एक से अधिक सलाहकार समितियां गठित नहीं करेगी।

(2) सलाहकार समितियों के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनकी संख्या उतनी होगी और वह ऐसी रीति से चुने जाएंगे, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए;

परन्तु यह कि हर एक समिति में अभ्रक खान स्वामियों और अभ्रक खनन उद्योग में नियोजित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या बराबर होगी और यह कि हर एक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी और हर एक समिति का कम से कम एक सदस्य सम्पृक्त राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य होगा।

(3) हर एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार सलाहकार समितियों के सब सदस्यों के नाम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

आफ़िसरों की नियुक्ति और शक्तियां।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, निरीक्षक, कल्याण प्रशासक और अन्य ऐसे आफ़िसर नियुक्त कर सकेगी जैसे वह निधि का प्रशासन करने के लिए या निधि से वित्तपोषित क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण या चलाए जाने के लिए आवश्यक समझे।

1860 का 45

(2) इस प्रकार नियुक्त किया गया हर आफ़िसर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंदर लोक-सेवक समझा जाएगा।

(v) किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जन्म लेने के कारण, वह—

(1) स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के माध्यम से या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार का, या लेनदार के फायदे के लिए, श्रम या सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो मजदूरी के बिना या नाममात्र की मजदूरी पर करेगा; अथवा

(2) अपने नियोजन या अपनी जीविका के अन्य साधनों की स्वतन्त्रता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खो देगा; अथवा

(3) भारत राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अपना अधिकार खो देगा; अथवा

(4) अपनी किसी सम्पत्ति या अपने श्रम के या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के श्रम के उत्पाद को विनियोजित करने या उसे बाजार मूल्य पर विक्रय करने का अपना अधिकार खो देगा,

और इसके अन्तर्गत बलात्श्रम या भागतः बलात्श्रम की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी का प्रतिभू लेनदार के साथ इस आशय का करार करता है या जिसने ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहने की दशा में वह ऋणी की ओर से बन्धित श्रम करेगा;

1 [स्पष्टीकरण— ... है कि बलात् ... ऐसे कर्मकार ...]

(ज) किसी व्यक्ति के संबंध में "कुटुम्ब" के अन्तर्गत उस व्यक्ति का पूर्वपुरुष और वंशज भी है;

(झ) किसी श्रम के संबंध में "नाममात्र की मजदूरी" से वह मजदूरी अभिप्रेत है जो—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के संबंध में सरकार द्वारा नियत निम्नतम मजदूरी से कम है, और

(ख) जहां किसी प्रकार के श्रम के संबंध में ऐसी न्यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गई है वहां, उसी परिक्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के लिए प्रसामान्यतः संदत्त मजदूरी से कम है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

3. इस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

अध्याय 2

बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन

4. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन हो जाएगा और ऐसे प्रारम्भ पर प्रत्येक बन्धित श्रमिक, बन्धित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त और उन्मोचित हो जाएगा। बन्धित श्रम पद्धति का उत्सादन।

1. 1985 के अधि० सं० 73 की धारा 2 द्वारा (24.12.85 से) अंतःस्थापित

समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा संदाय का स्वीकार न किया जाना।

9. (1) कोई लेनदार किसी ऐसे बन्धित ऋण के लिए जो इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर समाप्त हो गया है या समाप्त हुआ समझा गया है या पूर्णतया चुकता कर दिया गया समझा गया है, कोई संदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय उस व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी शर्तों के अतिरिक्त जो उस उपधारा के अधीन अधिरोपित की जाएं, न्यायालय में वह रकम जो उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में स्वीकार की जाती है, ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, बन्धित श्रमिक को वापस किए जाने के लिए जमा करे।

अध्याय 4

कार्यान्वयन प्राधिकारी

वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।

10. राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के उपबन्ध समुचित रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं और जिला मजिस्ट्रेट अपने ऐसे अधीनस्थ अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा और उन स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य।

11. धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी बन्धित श्रमिक के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करके और संरक्षण देकर ऐसे बन्धित श्रमिक के कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि उस बन्धित श्रमिक को कोई और बन्धित ऋण लेने के लिए प्रविष्ट करने का कोई अवसर या हेतुक न हो।

जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य।

12. प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट का और धारा 10 के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह जांच करे कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी बन्धित श्रम पद्धति या किसी अन्य प्रकार के बलात्-श्रम का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रवर्तन किया जा रहा है या नहीं और यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति बन्धित श्रम पद्धति या बलात्श्रम की किसी अन्य पद्धति का प्रवर्तन करते पाया जाता है तो वह तत्काल ऐसी कार्यवाही करेगा जो ऐसे बलात्श्रम के प्रवर्तन का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक हो।

अध्याय 5

सतर्कता समितियां

सतर्कता समितियां।

13. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखण्ड में उतनी सतर्कता समितियां गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों और जिले में निवास कर रहे हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो जिले में निवासी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(घ) जिले में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ङ) जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ।

(3) किसी उपखण्ड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) उपखण्ड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों और उपखण्ड में निवास कर रहे हों, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता, जो उपखण्ड में निवासी हों, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(घ) उपखण्ड में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(ङ) उपखण्ड में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(च) एक अधिकारी, जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट है और उपखण्ड में कार्य कर रहा है ।

(4) प्रत्येक सतर्कता समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी और उसे—

(क) जिले के लिए गठित सतर्कता समिति की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा,

(ख) उपखण्ड के लिए गठित सतर्कता समिति की दशा में उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा,

ऐसी अनुसचिवीय सहायता दी जाएगी जो आवश्यक हो ।

(5) सतर्कता समिति की कोई कार्यवाही सतर्कता समिति के गठन या कार्यवाहियों में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी ।

सतर्कता समितियों के कृत्य ।

14. (1) प्रत्येक सतर्कता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो, किए गए प्रयत्न और की गई कार्रवाई के बारे में जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देना ;

(ख) मुक्त किए गए बन्धित श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) मुक्त किए गए बन्धित श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसाइटियों के कृत्यों का समन्वय करना ;

(घ) उन अपराधों की संख्या पर नजर रखना जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है ;

(ङ) यह सर्वेक्षण करना कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था ;

(च) मुक्त किए गए बन्धित श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बन्धित ऋण या किसी ऐसे अन्य ऋण के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बन्धित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है ।

(2) सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किए गए बन्धित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किए गए बन्धित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाएगा ।

सबूत का भार ।

15. जब कभी किसी बन्धित श्रमिक या सतर्कता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह बन्धित ऋण है तो ऐसे ऋण के बन्धित ऋण न होने के सबूत का भार लेनदार पर होगा ।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड ।

16. जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी व्यक्ति को कोई बन्धित श्रम करने के लिए विवश करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

बन्धित ऋण के दिए जाने के लिए दण्ड ।

17. जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई बन्धित ऋण देगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

बन्धित श्रम पद्धति के अधीन बन्धित श्रम कराने के लिए दण्ड ।

18. जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी ऐसी रूढ़ि, परम्परा, संविदा करार या अन्य लिखत का प्रवर्तन करेगा, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति पर आश्रित किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह बन्धित श्रम पद्धति के अधीन कोई सेवा करे तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि जुर्माना वसूल किया जाता है तो उसमें

में बन्धित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन उसमें बन्धित श्रम कराया गया था, पांच रुपए की दर से संदाय किया जाएगा ।

बन्धित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दण्ड ।

19. ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी बन्धित श्रमिक को वापस करे, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा करने में लोप करेगा या असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और यदि जुर्माना वसूल किया जाता है तो उसमें से बन्धित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान सम्पत्ति का कब्जा उसे वापस नहीं किया गया था, पांच रुपए की दर से संदाय किया जाएगा ।

दुष्प्रेरण का एक अपराध होना ।

20. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नहीं, वह उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, जिसका दुष्प्रेरण किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "दुष्प्रेरण" का वही अर्थ है जो
1860 का 45 उसका भारतीय दण्ड संहिता में है ।

अपराधों का कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जाना ।

21. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसी शक्तियों के प्रदान किए जाने पर उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसे इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, दण्ड प्रक्रिया
1974 का 2 संहिता, 1973 के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

22. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध ।

23. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है